

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला-जालोर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 06/2020

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोंडेंटस
1. चंदणा बेवा पीराजी कौम कलबी साकिन चाटवाडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर		1. पारु 2. मथरा पुत्रीयान पीराजी कौम कलबी साकिन चाटवाडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर 3. ग्राम पंचायत चाटवाडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत चाटवाडा तहसील रानीवाडा

म्युटेशन अपील बनाराजगी म्युटेशन संख्या 168 ग्राम पंचायत चाटवाडा

उपस्थिति :-

1. अपीलान्ट अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित।
2. रेस्पोंडेंटस संख्या 1 के अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्णोई।
3. रेस्पोंडेंटस संख्या 2 के अधिवक्ता श्री भोपालसिंह राठौड़।

—: निर्णय :-

दिनांक - 04.01.2023

1. अपीलान्टस द्वारा रेस्पोंडेंटस के विरुद्ध एक म्युटेशन संख्या 168 ग्राम पंचायत चाटवाडा के संबंध में अपील प्रस्तुत की है जिनके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट व रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 पीरा पुत्र अखाजी कौम कलबी साकिन चाटवाडा के कायम मुकाम वारीसान व प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है। अपीलान्ट उक्त पीराजी की पत्नि है तथा रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 2 उक्त पीराजी की जायन्दा पुत्रीयां है। उक्त पीरा पुत्र अखाजी फौत हो चुके है तथा उक्त पीरा पुत्र अखाजी की खातेदारी आराजी पर अपीलान्ट व रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 2 उक्त पीराजी के उत्तराधिकारी की हैसियत से काबिज हुये है। उक्त पीराजी की सामलाती खातेदारी आराजी मौजा चाटवाडा के पुराने खसरा नंबर 38 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 409 रकबा 32 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 514 रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 526 रकबा 18 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 652 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 579 रकबा 53 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 739 रकबा 14 बीघा 19 बिस्वा आराजी बाबत् उक्त पीराजी के फौत होने पर म्युटेशन संख्या 168 स्वीकृत किया गया तथा उक्त म्युटेशन संख्या 168 के जरिये उक्त आराजी की खातेदारी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पीराजी के तमाम वारीसान के नाम दर्ज नहीं कर रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 2 के नाम दर्ज की गई है। इसलिये ग्राम



पंचायत चाटवाडा द्वारा म्युटेशन संख्या 168 के स्वीकृत करने बाबत पारीत आदेश से आहत होकर अपीलान्ट की ओर से यह अपील निम्न आधारों पर पेश है:-

2. ग्राम पंचायत चाटवाडा द्वारा उक्त म्युटेशन संख्या 168 को स्वीकृत करते वक्त उक्त पीराजी के तमाम वारीसान को सुनवाई का अवसर नहीं दिया तथा मात्र रेस्पोजेण्ट संख्या 1 से 2 के नाम उक्त म्युटेशन स्वीकृत किया गया। इसलिये उक्त म्युटेशन संख्या 168 को स्वीकृत करने की तमाम कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने से काबिल खारीज है। व पीरा वल्द अखाजी कौम कलबी साकिन चाटवाडा की फौतेदगी पर वादग्रस्त आराजी की खातेदारी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उक्त पीराजी के तमाम वारीसान के नाम दर्ज नहीं की। इसलिये उक्त म्युटेशन संख्या 168 की कार्यवाही हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने से प्रारम्भ से अवैध शुन्य व निष्प्रभावी होने से काबिल खारीज है। व उक्त म्युटेशन संख्या 168 की कार्यवाही अपीलान्ट के पीठ पिछे की गई तथा उक्त म्युटेशन संख्या 168 में अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं कर अपीलान्ट को रेस्पोजेण्ट संख्या 1 से 2 का मात्र वली दर्शा दिया। इसलिये म्युटेशन संख्या 1698 काबिल खारीज है।
3. उक्त आराजी की खातेदारी जमाबंदी संवत् 2024 से 2027 में पीरा पुत्र अखा कौम कलबी सा.देह खातेदार के नाम दर्ज थी तथा द्वितीय सेंटलमेंट के दौरान उक्त आराजी पुराने खसरा नंबर 38 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 409 रकबा 32 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 514 रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 526 रकबा 18 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 652 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 579 रकबा 53 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 739 रकबा 14 बीघा 19 बिस्वा से अलग अलग नवीन खसरा नम्बर सृजित किये गये। अपीलान्ट के पति व रेस्पोजेण्ट संख्या 1 से 2 के पिता पीरा वल्द अखा कौम कलबी के फौत होने पर म्युटेशन संख्या 168 की कार्यवाही अपीलान्ट के पीठ पिछे की गई तथा उक्त म्युटेशन संख्या 168 के जरिये उक्त पीरा के तमाम वारीसान के नाम खातेदारी दर्ज नहीं कर मात्र रेस्पोजेण्ट संख्या 1 से 2 के नाम पीरा की बजाय खातेदारी दर्ज कर दी। उक्त म्युटेशन संख्या 168 की कार्यवाही हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने से प्रारम्भ से ही अवैध व शुन्य व निष्प्रभावी है तथा उक्त अवैध व शुन्य कार्यवाही को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है तथा उक्त कार्यवाही को किसी भी वक्त चुनौती दी जा सकती है। परन्तु अपीलान्ट को उक्त म्युटेशन संख्या 168 की जानकारी दिनांक 08.9.2020 को राजस्व रेकर्ड की नकल लेने पर हुई। इसलिये अपीलान्ट की अपील जानकारी से अंदर म्याद पेश है, फिर भी यदि अपीलान्ट की अपील को अंदर म्याद नहीं माना जावे तो विकल्प में निवेदन है कि अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश में रहने वाली अनपढ महिला है तथा अपीलान्ट के पति पीराजी की असमय मौत होने से अपीलान्ट को भारी सदमा लगा था। इसलिये अपीलान्ट को उक्त म्युटेशन संख्या 168 की जानकारी नहीं हो सकी। इसलिये अपीलान्ट की अपील को अंदर म्याद शुमार किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। जिसके लिये धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। अतः म्युटेशन अपील मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर मौजा चाटवाडा तहसील रानीवाडा में म्युटेशन संख्या 168 को अपास्त कर मौजा चाटवाडा तहसील रानीवाडा के पुराने खसरा नंबर 38 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा,

खसरा नम्बर 409 रकबा 32 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 514 रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 526 रकबा 18 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 652 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 579 रकबा 53 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 739 रकबा 14 बीघा 19 बिस्वा आराजी से सृजित नवीन खसरा नंबर की आराजी बाबत् उक्त पीरा वल्द अखाजी कौम कलबी साकिन चाटवाडा की फौतेदगी बाबत् उक्त पीरा के तमाम वारीसान के नाम नये सिरे से म्युटेशन स्वीकृत करने के आदेश फरमावें।

4. अपीलान्ट की अपील को म्याद के उजर बाबत् रेस्पोजेण्टस के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोजेण्टस को समन जारी किये गए। रेस्पोजेण्टस संख्या 1 के अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई व रेस्पोजेण्टस संख्या 2 के अधिवक्ता श्री भोपालसिंह राठौड़ की ओर से वकालतनामा पेश किया गया।
5. सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत म्युटेशन अपील राजस्व रेकर्ड में पूशतैनी भूमि में तमाम वारीसान के नामान्तकरण के अनुरूप इन्द्राज से संबंधित है। ग्राम पंचायत चाटवाडा द्वारा ना0 क0 संख्या 168 स्वीकृत करते समय अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विपरीत होने से अपीलान्टस की ओर से पेश धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई दिनांक 22.12.2021 को स्वीकार किया गया। जिसकी रेस्पोजेण्टस पारू पुत्री पीराजी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में निगरानी पेश कि गई। जो निगरानी एल.आर. संख्या 259/2022/जिला जालोर दर्ज होकर दिनांक 18.10.2022 को निर्णित की गई थी। जिसमें निर्णय अनुसार निगरानी संधारण योग्य नहीं होने से खारिज की गई।
6. अपीलान्ट व रेस्पोजेण्टस के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
7. अपीलान्ट की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए म्युटेशन संख्या 168 को अपास्त कर मौजा चाटवाडा तहसील रानीवाडा के पुराने खसरा नंबर 38 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 409 रकबा 32 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 514 रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 526 रकबा 18 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 652 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 579 रकबा 53 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 739 रकबा 14 बीघा 19 बिस्वा आराजी से सृजित नवीन खसरा नम्बर की आराजी बाबत उक्त पीरा वल्द अखाजी कौम कलबी साकिन चाटवाडा की फौतेदगी बाबत उक्त पीरा के तमाम वारीसान के नाम नये सिरे से म्युटेशन स्वीकृत करने के आदेश फरमावें।
8. रेस्पोजेण्टस संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई जिनके तथ्य इस प्रकार है कि मौजा चाटवाडा तत्कालीन तहसील भीनमाल में स्थित आराजी पुराने खसरा नंबर 38 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 409 रकबा 32 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 514 रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 526 रकबा 18 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 652 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 579 रकबा 53 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 739 रकबा 14 बीघा 19 बिस्वा आराजी बाबत तत्कालीन खातेदार पीराजी के फौत होने पर म्युटेशन संख्या 168 स्वीकृत किया गया, की अपील प्रस्तुत की गई। उक्त म्युटेशन संख्या 168 मौजा चाटवाडा को ग्राम पंचायत चाटवाडा द्वारा दिनांक 19.5.1971 को अर्थात आज से लगभग 50 वर्षों पूर्व भरा गया। उक्त

म्युटेशन संख्या 168 के जरिये मूल खातेदार पीरा फौत होने पर पीरा के कायम मुकाम प्रथम श्रेणी के वारीसान पारू व मथरा का नाम दर्ज किया गया। उक्त म्युटेशन संख्या 168 को जब भरा गया तब रेस्पोजेण्ट संख्या 1 व 2 दोनों ही नाबालिंग थी तथा नाबालिंग की वलीया अपीलाण्ट चंदणा थी, जो कि रेस्पोजेण्ट संख्या 1 व 2 की माता हैं। अपीलाण्ट पारू के नाबालिंग अवस्था में पारू की तरफ से पारू की माता चंदणा ने ही म्युटेशन को भरवाने की सम्पूर्ण कार्यवाही की गई थी तथा पारू के नाबालिंग अवस्था में पारू का पालन पोषण अपनी माता चंदणा ने ही किया तथा म्युटेशन में पारू का नाम म्युटेशन का इन्द्राज करवा कर अपीलार्थी चंदणा उक्त नाबालिंग की वलीया बनी, जिसमें चंदणा की पूर्ण सहमति तथा चैतन्य ज्ञान के तहत कार्यवाही हुई थी। उक्त म्युटेशन को हल्का पटवारी चाटवाड़ा में अपीलाण्ट चंदणा को पूछकर ही खोला गया है। चूंकि चंदणा के अलावा उक्त खातेदारी के सम्बन्ध में फौतेदगी म्युटेशन को भरवाने की पैरवी करने वाला कोई नहीं था। हल्का पटवारी द्वारा वैध वारिसानों की जांच करने के बादही प्रथम श्रेणी के वारिसान रेस्पोजेण्ट संख्या 1 व 2 के नाम अपीलाण्ट की सहमति से ही म्युटेशन भरवाया है। रेस्पोजेण्ट संख्या 1 व 2 नाबालिंग अवस्था में रहने के दौरान नाबालिंग पुत्रीयों की सम्पूर्ण जानकारी हल्का पटवारी को अपीलाण्ट चंदणा ने मुहैया कराई थी तथा चंदणा के कहने पर ही म्युटेशन में रेस्पोजेण्ट संख्या 1 व 2 का नाम नाबालिंग में इन्द्राज करते हुए नाबालिंग की माता वलीया चंदणा को बनाया गया। उक्त म्युटेशन पूर्ण रूप से अपीलाण्ट चंदणा की सहमति से भरा गया है।

ग्राम पंचायत चाटवाड़ा द्वारा म्युटेशन को स्वीकृत करने की तारीख दिनांक 19.05.1971 से निर्धारित एक माह की अवधि के भीतर अर्थात् 19.6.1971 तक म्युटेशन संख्या 168 को चलेन्ज कर अपीलाण्ट को अपील करनी चाहिए थी, मगर एक माह के बाद आज 50 वर्ष बीत चुके हैं। एक माह की अवधि पूर्ण होने के लगभग 50 वर्षों बाद अपील प्रस्तुत की जा रही है, जो विधि सम्मत नहीं होने से मय खर्चा खारिज योग्य है। दिनांक 08.09.2020 को राजस्व रेकॉर्ड की नकले लेने पर म्युटेशन की जानकारी होने का कथन गलत वर्णित किया है। करीब 50 वर्षों की देरी को बिना किसी ठोस सबूत व बिना पर्याप्त कारण के किसी भी भारतीय अदालत द्वारा माफी नहीं दी जा सकती है। अपीलाण्ट ने धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में मात्र अपीलाण्ट के ग्रामीण परिवेश की अनपढ़ होने की बात बताना तथा पति की असमय फौत होने से भारी सदमा लगा होने का कथन करती है, जबकि 50 वर्षों तक लंबा सदमा लगने बाबत कोई मेडिकल दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। चूंकि गांव के लोगों की अपनी खातेदारी की बिगोड़ी अदा करने की शुरु से विधिक जानकारी व परिपाटी रही है, जबकि अपीलाण्ट ने अपने द्वारा बिगोड़ी भरने या नहीं भरने का कोई कथन नहीं किया है। रेस्पोजेण्ट के नाबालिंग रहने के दौरान वादग्रस्त आराजी की बिगोड़ी अपीलाण्ट ने ही भरी है, जो कि स्वीकृत उपधारणा है तथा यह भी स्वीकृत उपधारणा है कि रेस्पोजेण्ट की संख्या 1 व 2 के बालिंग होने पर नाबालिंग वलीया माता का इन्द्राज भी अपीलाण्ट ने ही दुरुस्त करवा कर नाबालिंग वलीया माता का नाम हटवाया है। उक्त पिछले 50 वर्षों में पड़ोसी घरों में फसल खराब का मुआवजा आने का अपीलाण्ट को ज्ञान होने पर भी अपीलाण्ट ने हल्का पटवारी से मिलकर अपनी खातेदारी आराजी में होने वाले खराबे बाबत मुआवजा प्राप्त करने की गुहार नहीं की। उक्त तथ्य के बारे में भी अपीलाण्ट के कथन गौण हैं। उक्त 50 वर्षों के लम्बे अर्से के दौरान वादग्रस्त आराजी

की द्वितीय सेटलमेंट भी किया गया, जिसमें आराजी की पैमाईश भी की गई तथा द्वितीय सेटलमेंट का पर्चा लगान भी जारी हुआ, ये सब कार्यवाहीयां प्रत्येक खातेदार के सामने हुईं मगर उक्त तथ्य के बारे में अपीलान्ट के कथन गौण है। अपीलान्ट की करीब 50 वर्षों की चुप्पी के बाद अचानक ऐसी क्या घटना घटित हुई कि प्रार्थीया ने राजस्व रेकॉर्ड की नकले मांगी, उक्त घटना का जिक्र भी नहीं किया गया।

प्रकरण में वर्तमान खातेदार पारुदेवी पत्नि पीरा (रेस्पोंडेन्ट संख्या 1) ने अपनी आराजी को बाबूलाल पुत्र चैनाराम जाति कलबी निवासी चाटवाड़ा को बेचान कर दिया है। वादग्रस्त सम्पत्ति के बेचान हो जाने से कानूनीया पेचीदगीया पैदा हो गई है। ऐसे स्तर पर प्रकरण को जरिये वाद पत्र के पेश करना आवश्यक हो जाता है। अपीलान्ट जब तक उक्त दस्तावेज बेचान खातेदारी हक को सिविल कोर्ट के जरिये कैंसल नहीं करवा देते तब कि उक्त अपील के द्वारा प्रकरण का निस्तारण नहीं हो जायेगा। अपीलान्ट व अपीलान्ट की पुत्री रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 के मध्य दुरभी संधि के चलते यह अपील पेश की है। उक्त समय रेस्पोंडेन्ट नाबालिंग थी तथा नाबालिंग होने के कारण रेस्पोंडेन्ट के हक में अपीलान्ट ने म्युटेशन की कार्यवाही की या नहीं की। इस बिन्दू को साक्ष्य व तथ्यों तथा दस्तावेजों से साबित करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए यह प्रकरण अपीलान्ट को जरिये वाद पत्र के द्वारा पेश किया जाना आवश्यक हो जाता है। अपीलान्ट ने अपनी अपील में यह कथन कहीं पर भी उल्लेखित नहीं किया गया है कि 50 वर्षों से म्युटेशन किसके द्वारा भरवा कर स्वीकृत करवाया गया था तथा म्युटेशन के तथ्यों की जानकारी किसने दी थी। अपीलान्ट की अपील महत्वपूर्ण तथ्यों पर मौन है। इसलिए अपीलान्ट की अपील खारिज कर अपीलान्ट पर खर्चा हर्जा अधिरोपिज करने के आदेश फरमावे।

9. अपीलान्टस संख्या 2 की ओर बहस में बताया कि अपीलान्टस के पति व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता पीरा वल्द अखाजी के फौत होने पर स्वीकृत म्युटेशन संख्या 168 की कार्यवाही हम वारीसान के पीठ पिछे की गई थी तथा पीरा वल्द अखाजी के फौत होने पर अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं करने में भूल की गई है। अपीलान्ट रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 2 की माता है तथा स्व. पीरा वल्द अखाजी कौम कलबी साकिन चाटवाड़ा के तमाम वारीसान के नाम म्युटेशन स्वीकृत करने का आदेश दिया जाना न्याय संगत है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश पर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर स्व. पीरा वल्द अखाजी कौम कलबी साकिन चाटवाड़ा के तमाम वारीसान के नाम म्युटेशन स्वीकृत करने के आदेश फरमावें।
10. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज का अध्ययन कर मनन किया। अपीलान्टस व रेस्पोंडेन्टस की के विद्वांन अधिवक्ताओं के बहस तथ्यों पर मनन किया। अपीलान्टस द्वारा पेश म्युटेशन संख्या 168 का अध्ययन किया। जिसमें पीरा पुत्र अखा कौम कलबी फौत होने पर पीरा पुत्र अखा के स्थान पर पारु, मथरा पि. पीरा कौम कलबी सा.देह ब.हि. खातेदार दर्ज किया गया। उक्त म्युटेशन संख्या 168 में राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त पूशतैनी भूमि में लडकियों का नाम दर्ज किया है। व उक्त पूशतैनी आराजी की वर्तमान जमाबंदी में नाबालिंग पारु व मथरा पुत्री पीरा सरंक्षक माता चन्दणो जाति कलबी दर्ज है। तथा रेस्पोंडेन्टस अधिवक्ता द्वारा भी बहस में अपीलान्ट चंदणा को रेस्पोंडेन्टस संख्या 1 व 2 की माता होना बताया गया है। किन्तु म्युटेशन संख्या 168 में अपीलान्टस के पति पीरा पुत्र अखा फौत होने पर रेस्पोंडेन्टस संख्या 1 व 2 पारु व मथरा पिसरान पीरा कौम कलबी साकिन देह

बहहिस्सा बहखातेदार जाति कलबी दर्ज किया गया। इस म्यूटेशन की कार्यवाही के दौरान अपीलान्टा चान्दणा का नाम म्यूटेशन में आना चाहिए। लेकिन उनका नाम नहीं लिया गया। नही इसके संबंध में कोई विधिक कार्यवाही का कारण बताया गया है। पूशतैनी भूमि में पति के मृत्यू होने पर उनकी पत्नि का हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी मानी गई है। किन्तु म्यूटेशन भरते समय उक्त त्रुटि हुई है। एवं प्रकृतिक न्याय सिद्धान्तों के तहत सूनवाई करने का अभाव पाया गया है। उक्त म्यूटेशन में चान्दणा का नाम नहीं आने के संबंध में किसी प्रकार का कॉलम संख्या 14 नोट अंकित किया हुआ है। अतः अपीलान्टस के पति की आराजी में विधिक हकदार होना साबित होता है। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण राजस्थान भू-राजस्व (अभिलेख) नियम 1957 के प्रावधानों के अनुरूप नही होने से उक्त नामान्तरण संख्या 168 को निरस्त किया जाना न्यायसंगत है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्टस की अपील स्वीकार योग्य है।

—: आदेश :-

11. अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाती है। तथा मौजा चाटवाडा के पुराने खसरा नम्बर 38, 409, 514, 526, 652, 579, 739 की आराजी में पीरा वल्द अखा कौम कलबी सा. देह खातेदार की फौतेदगी पर ग्राम पंचायत चाटवाडा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 168 को निरस्त किया जाता है। तथा उक्त नामान्तरकरण के आधार पर जमाबंदी में किये गये इन्द्राज भी प्रभाव शुन्य घोषित किये जाते है। तथा उक्त ना0 संख्या 168 को तहसीलदार रानीवाडा को प्रतिप्रेषित किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते है कि आप पीरा वल्द अखा के तमाम वारीसान की जांच कर उसके अनुरूप नामान्तरकरण खोलने की विधिक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें।

पक्षकारान् अपना-अपना खर्चा वहन करें।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

निर्णय आज दिनांक 04.01.2023 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा